

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

फर्द अहकाम

दिनांक

3¹/₂

पत्तानगी झाप सिवाल तलमी के प्राणपत्र परकी
 हुई। वादी व वादी वकील उपर। वादी व
 वादी वकील ने अनगत कराया कि उक्त
 मुकदमा में निवाचित आवामी व अमा निपात के
 सम्बंध में अदालत ~~के~~ सिविल न्यायालय में
 वादी का की और में वाद विचार की गई। जिसमें
 अमान्यकारी है, इसलिए वादी का अर्ज सिविल अदालत
 की सुरक्षित रखते हुए कवा जिहूँ (ऑटोपैस) करना चह
 है। तथा वादी व वादी वकील उक्त अर्ज वादी
 के अमान्यकारी है। अतः मु० नं० 18/15 दल मुठपा
 उक्त अमान्यकारी अमान्य मिल्द अर्ज व लखीलदार
 ऑटोपैस किया जाता है। पत्तानगी के प्राणपत्र
 दो नम्बर में अमा की।

जुष्टी
 P. S. 10/10/10
 (P. S. 10/10/10)
 9

